रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2739] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2016/अग्रहायण 1, 1938
No. 2739] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2016/AGRAHAYANA 1, 1938

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2016

का.आ. 3505(अ).—नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा-16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि नागरिकता नियमावली, 2009 के नियम-40 के साथ पठित अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (2) के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां गोवा राज्य के निवासियों द्वारा अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के विषय में जांच करने के प्रयोजन हेतु जिला कलेक्टर, उत्तरी गोवा तथा जिला कलेक्टर, दक्षिणी गोवा द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी, तथा कथित नियमावली की अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को अपनी उचित अनुशंसाए कर सकेगें, अर्थात्:-

(क) जिला कलेक्टर द्वारा उचित प्रचार के बाद आवेदन तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी;

(ख) अधिनियम तथा नागरिकता नियमावली, 2009 में निहित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, जांच उचित तथा पारदर्शी ढंग से की जाएगी;

(ग) जांच के बाद, जिला कलेक्टर प्रत्येक मामले का विवरण देते हुए केन्द्रीय सरकार से अनुशंसाएं करेगा।

2. सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से अगले दो वर्षों की अवधि हेतु यह आदेश लागू रहेगा।

[फा. सं. 26030/34/2013-आई.सी.-I]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 2016

S.O. 3505(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government directs that the powers exercisable by it under sub-section (2) of section 9 of the Act read with rule 40 of the Citizenship Rules, 2009, shall also be exercisable by the District Collector, North Goa and District Collector, South Goa for the purpose of inquiring into the issue of acquisition of citizenship of another country by residents of the State of Goa and make appropriate recommendations to the Central Government through the State Government in accordance with the procedure specified in Schedule III of the said Rules, subject to the following conditions, namely:-

(a) the applications and objections shall be invited after due publicity by the District Collector;

(b) the inquiry shall be conducted in fair and transparent manner, keeping in mind the provisions contained in the Act and the Citizenship Rules, 2009;

(c) after inquiry, the District Collector shall make recommendations to the Central Government giving details of each case.

2. This Order shall be in force for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 26030/34/2013-IC-I]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria Digitally signed by Nishok Kumar Paria Date: 2016.11.23 11:41:19 +05'30'